न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 13/2024

अनवान : –

1. याजत पुत्र अब्दुल मजिद खां जाति मुसलमान निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।

–**प्रार्थी**

बनाम्

1. याकुब पुत्र रफीक जाति मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. सादक अली पुत्र रफीक जाति मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. हारून पुत्र रफीक जाति मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– **तरतीबी अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

उपस्थिति :–**श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रार्थी**

निर्णय **दिनांकः** 02/05/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा ब्राहमणवासी तहसील नोहर के खाता संख्या 171/31 के ख0न0 278/43 की कुल 0.1033 हैक्ट भूमि का सायल खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

रोही मौजा ब्राहमणवासी तहसील नोहर के खाता संख्या 153/76 के ख0न0 277/247 की कुल 5.1465 हैक्ट भूमी में सायल संख्या 1 अकेला 4004/10293 हिस्सा, गैरसायल संख्या 2 अकेला 4004/10293 हिस्सा भूमि, गैरसायल संख्या 3 अकेला 2285/10293 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

प्रार्थी नोहर से चलकर अरड़की जाने वाली सड़क से चलकर गैरसायलान संख्या 1 ता 3 के खेत के ख0न0 277/247 में से चलकर अपने खेत के ख0न0 278/43 में प्रवेश करता है तथा प्रार्थी के खेत मे आने जाने में यही रास्ता सबसे नजदीक व सुविधाजनक है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान के खाता संख्या 153/76 के ख0न0 277/247 के 5.1465 हैक्ट भूमि में से 5 मीटर चौड़ा 172 मीटर लम्बा पूर्व से पश्चिम के अगुणा पासा में मुड़कर उत्तरी पूर्व कोने में 5 मीटर चौड़ा एवं 9 मीटर लम्बाई में रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता इकबाल प्रार्थना पत्र पेश किया जाकर निवेदन किया की प्रार्थना पत्र सायल मुताबिक रास्ता स्वीकार किया जाता है तो हमें कोई ऐतराज नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.07 11:25:02 IST
Reason: SelfAttested

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की गैरसायलान के खाता संख्या 153/76 के ख0न0 277/247 के

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

5.1465 हैक्ट भूमि में से 5 मीटर चौड़ा 172 मीटर लम्बा पूर्व से पश्चिम के अगुणा पासा में मुड़कर उत्तरी पूर्व कोने में 5 मीटर चौड़ा एवं 9 मीटर लम्बाई में रास्ता स्वीकृत किया जावे। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर ईकबाल प्रार्थना पेश किया जा चुका है। अर्थात प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संबंध में किसी को कोई ऐतराज नही है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने बहस में निवेदन किया की प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तो अप्रार्थीगण को कोई ऐतराज नही है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार कि रोही मौजा ब्राहमणवासी तहसील नोहर के खाता संख्या 171/31 के ख0न0 278/43 की कुल 0.1033 हैक्ट भूमि का सायल खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। रोही मौजा ब्राहमणवासी तहसील नोहर के खाता संख्या 153/76 के ख0न0 277/247 की कुल 5.1465 हैक्ट भूमी में सायल संख्या 1 अकेला 4004/10293 हिस्सा, गैरसायल संख्या 2 अकेला 4004/10293 हिस्सा भूमि, गैरसायल संख्या 3 अकेला 2285/10293 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। अप्रार्थीगण द्वारा इकबाल जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तो अप्रार्थीगण को कोई ऐतराज नही है। किसी भी खातेदार काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिए रास्ता दिया जाना भी न्यायोचित है एवं गैरसायलान की सहमति के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गैरसायलान संख्या 1 ता 3 के खेत रोही मौजा ब्राहमणवासी तहसील नोहर के खाता संख्या 153/76 के ख0न0 277/247 के 5.1465 हैक्ट भूमि में से 5 मीटर चौड़ा 172 मीटर लम्बा पूर्व से पश्चिम के अगुणा पासा में मुड़कर उत्तरी पूर्व कोने में 5 मीटर चौड़ा एवं 9 मीटर लम्बाई में यानि कुल 0.0905 हैक्ट रास्ता स्वीकृत किया जाता है। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तहसीलदार नोहर को पालना हेतु पृथक से आदेश जारी किया जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 02/5/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.07 11:25:02 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर

क्रमांकः रीडर/रास्ता/2023/ 392 दिनांकः– 03/05/24

तहसीलदार (राजस्व)
नोहर।

विषय :– स्वीकृत रास्ता का राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के संबंध में प्रार्थना पत्र स0–13/2024 निर्णय दिनांक 02/05/2024।

प्रकरण संख्या – 13/2024
अनवान : –

1. याजत पुत्र अब्दुल मजिद खां जाति मुसलमान निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।

–प्रार्थी

बनाम्

1. याकुब पुत्र रफीक जाति मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. सादक अली पुत्र रफीक जाति मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. हारून पुत्र रफीक जाति मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 25/2023 अनवान धनपत बनाम रामकुमार आदि में निर्णय दिनांक 2/5/2024 में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन न हो तो वे गैरसायलान संख्या 1 ता 3 के खेत रोही मौजा ब्राहमणवाासी तहसील नोहर के खाता संख्या 153/76 के ख0न0 277/247 के 5.1465 हैक्ट भूमि में से 5 मीटर चौड़ा 172 मीटर लम्बा पूर्व से पश्चिम के अगुणा पासा में मुड़कर उत्तरी पूर्व कोने में 5 मीटर चौड़ा एवं 9 मीटर लम्बाई में यानि कुल 0.0905 हैक्ट रास्ता स्वीकृत किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.05.07 11:25:02 IST
Reason: SelfAttested